Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

DIPP Point No. 194

Question	Remarks
8. Online tax return filing **Q:** Design and implement a system for Central Sales Tax (CST) to be filed online	Circular no 2022 dated 29/06/12 available

URL:

http://eseva.jharkhandcomtax.gov.in/Portal/main.htm?actionCode=showHomePageLnclick

Demo Dealer login provided for evaluation (System is live since 2012):
URL: esevademo.jharkhandcomtax.gov.in/
Username: vishnudevk7@gmail.com
Password : Password@3

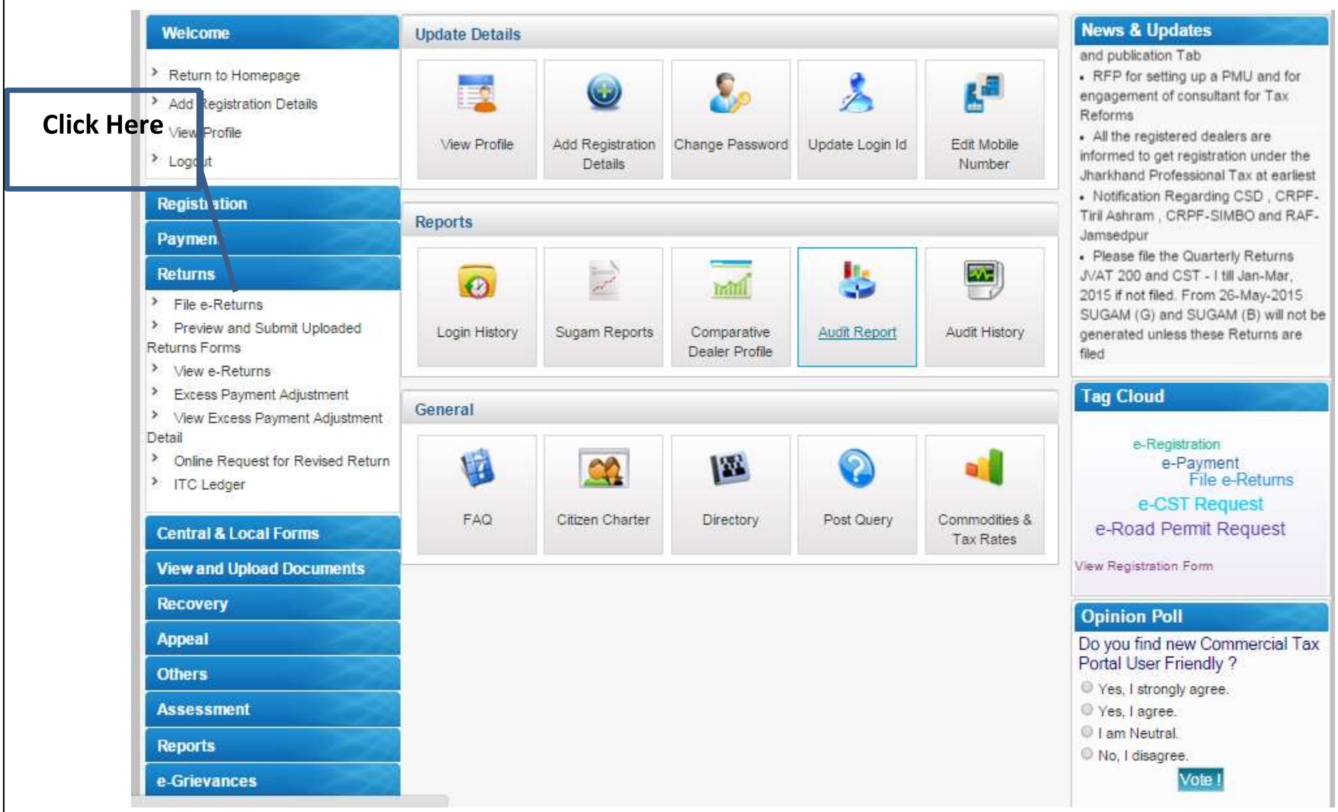

Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

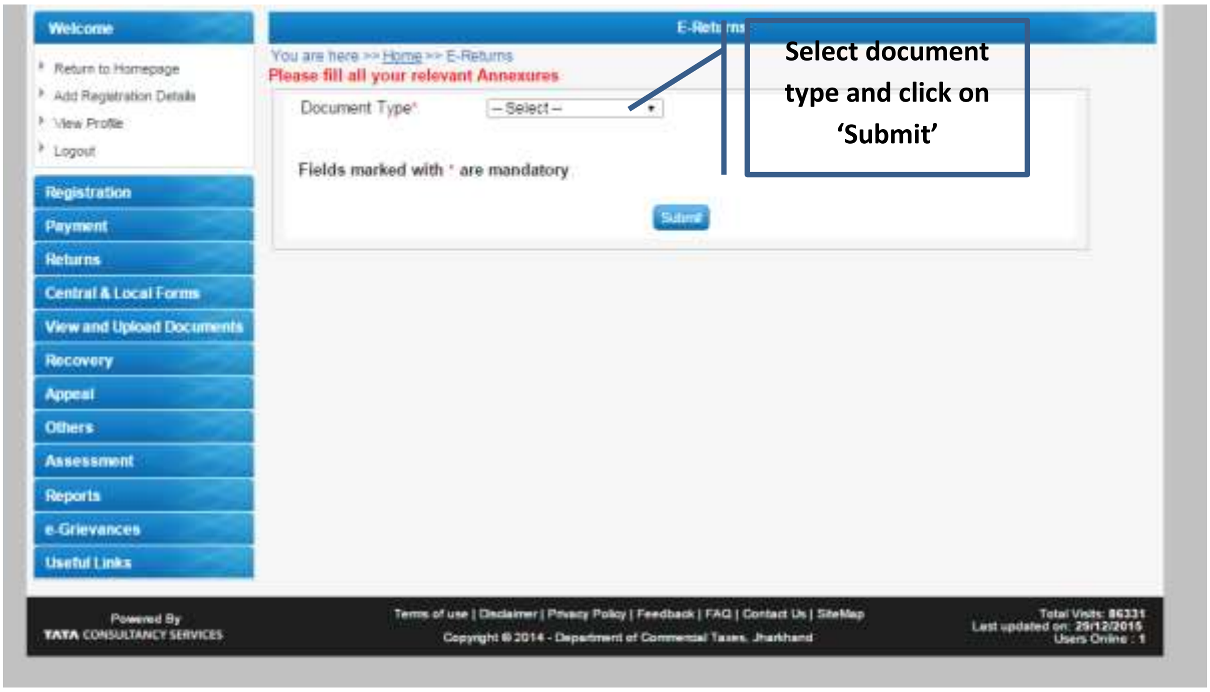

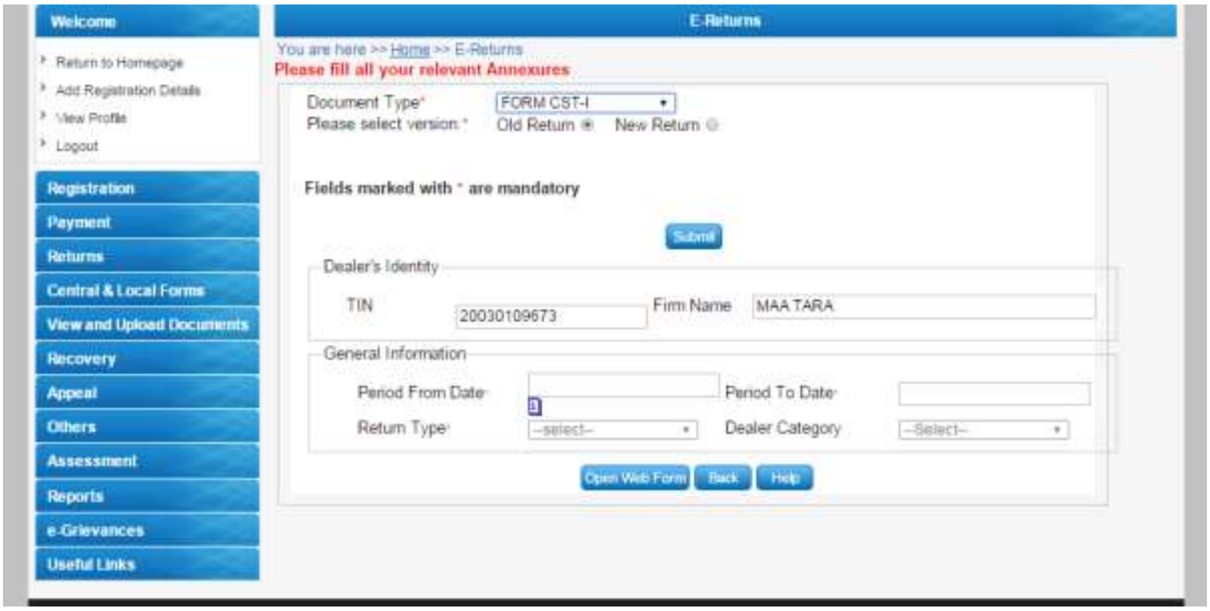

Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

<u>वाणिज्य–कर विभाग</u>

पत्र संख्या – वा0कर/कम्प्यु/03/2012– 2022 /राँची, दिनांक –29/6/12

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

<u>सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(अपील)/(वैट ऑडिट),</u>
<u>सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।</u>

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 (12) (i) के अधीन ऑनलाईन विवरणी समर्पित करने, नियम 15 (8) (f) के अधीन ऑन–लाईन भुगतान समर्पित करने तथा नियम 3A (vi) के अधीन ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या 4284 (अनु0) दिनांक 20.10.2010, 4767 दिनांक 09.12.2010 तथा 1663 (अनु0) दिनांक 05.07.2011

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिक्री कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली लागू की गयी है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है, ताकि स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर–व्यवस्था स्थापित हो। उक्त स्वचालित प्रकिया के क्रियान्वयन के क्रम में विभागीय प्रक्रियाएं यथा– निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, विवरणियाँ समर्पित करना तथा कर–भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्तित करने हेतु प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा क्रमशः ऑन–लाईन विवरणी समर्पित करने, ऑन–लाईन कर भुगतान करने तथा ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रकियाएं विहित की गयी हैं।

राज्य के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वर्ष 2012 को **"e-governance year"** घोषित किया जाय। कर–प्रशासन व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी एवं व्यवसायी अनुकूल बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित तीनों प्रमुख विभागीय प्रक्रियाओं–

- ऑन–लाईन विवरणी समर्पित करना, (*Online Filing of Returns*)
- ऑन–लाईन कर भुगतान करना, (*Online Payment of Taxes*)
- ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करना(*Online Submission of Application for Registation*)

को पूर्णत अनिवार्य किया जाय।

Circular mentioning online filing of returns

SUPPORTING DOCUMENT

Sr 171, 172, 173, 174, 176,

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या – वा0कर/कम्प्यू/03/2012– 2022 /राँची, दिनांक – 29/6/12

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(अपील)/(वेट ऑडिट),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 (12) (i) के अधीन ऑनलाईन विवरणी समर्पित करने, नियम 15 (6) (f) के अधीन ऑन–लाईन भुगतान समर्पित करने तथा नियम 3A (vi) के अधीन ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या 4284 (अनु0) दिनांक 20.10.2010, 4767 दिनांक 09.12.2010 तथा 1663 (अनु0) दिनांक 05.07.2011

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिक्री कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली लागू की गयी है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है, ताकि स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर–व्यवस्था स्थापित हो। उक्त स्वचालित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के क्रम में विभागीय प्रक्रियाएं यथा– निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, विवरणियाँ समर्पित करना तथा कर–भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्तित करने हेतु प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा कमशः ऑन–लाईन विवरणी समर्पित करने, ऑन–लाईन कर भुगतान करने तथा ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करने की प्रक्रियाएं विहित की गयी हैं।

राज्य के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वर्ष 2012 को "e-governance year" घोषित किया जाय। कर–प्रशासन व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी एवं व्यवसायी अनुकूल बनाने हेतु उपरोक्त वर्णित तीनों प्रमुख विभागीय प्रक्रियाओं–

- ऑन–लाईन विवरणी समर्पित करना, (*Online Filing of Returns*)
- ऑन–लाईन कर भुगतान करना, (*Online Payment of Taxes*)
- ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पित करना(*Online Submission of Application for Registation*)

को पूर्णतः अनिवार्य किया जाय।

निकट भविष्य में लागू होने वाली *"वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली"* के लिए उपरोक्त तीनों प्रकियाओं का पूर्ण डाटाबेस होना अतिआवश्यक है।

उक्त उद्देश्य से दिनांक 01.07.2012 से उपरोक्त सभी प्रकियाओं को पूर्णतः अनिवार्य बनाया जाता है। प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा विहित संबंधित प्रकियाएं यथावत् रहेंगी।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर e-governance के उद्देश्य से यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन

28.6.12

सरकार के सचिव।

SUPPORTING DOCUMENT

MIS Data Showing Online tax return filing (CST)

Division/ Circle wise Different Returns filed Offline/Online

Tax Type: Central Sales Tax **Financial Year:** 2015-2016
Return Type: ALL **Return Period:** April-March

Displaying 1 to 5 of 5 records.
Pages : 1

Sr.No.	Division	No. of Return Filer	No of Manual Return Filled			No of e-return Filled	Total
			Acknowledged	Processed	Not Processed		
1	S. Pargana	1966	0	0	0	6495	6495
2	Hazaribagh	2119	0	0	0	7116	7116
3	Jamshedpur	4735	0	0	0	16831	16831
4	Dhanbad	4405	1	1	0	15146	15147
5	Ranchi	6303	3	3	0	21807	21810
Total		19528	4	4	0	67395	67399
Grand Total		19528	4	4	0	67395	67399

☑ Division ☑ No. of Return Filer ☑ No of Manual Return Filled ☑ No of e-return Filled ☑ Total

Displaying 1 to 5 of 5 records.
Pages 1